

पत्रांक-17/प्रो-07-02/2015, सां०प्र०..... /
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
योजना एवं विकास विभाग
कृषि विभाग
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

पटना-15, दिनांक-.....

विषय:-

सी०डब्लू०जे०सी० सं०-1551/2017 विजय कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 21.03.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं को प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर तदर्थ प्रोन्नति देने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि सी०डब्लू०जे०सी० सं०-1551/2017 विजय कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 21.03.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्ता सर्वश्री विजय कुमार, सहायक (व०क्र०-2046) बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, रवीन्द्र प्रसाद, सहायक (व०क्र०-2475) योजना एवं विकास विभाग, कला नन्द सिंह, सहायक (व०क्र०-2418) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं विजय कुमार, सहायक (व०क्र०-2069) कृषि विभाग को प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर तदर्थ प्रोन्नति देने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय आरोप एवं वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि उक्त सहायकों के संबंध में वांछित प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-17/प्रो-07-02/2015, सां०प्र० 6384 /पटना-15 दिनांक- 17.5.18

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।